

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

Hi. 857] No. 857] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2012/वैशाख 14, 1934 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2012/VAISAKHA 14, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

का.आ. 1018(3),—कंन्द्रीय सरकार, एप्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 को उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायपूर्ति श्री एम. चौकालिंगम, मद्रास उच्च न्यायालय के भृतपूर्व न्यायाधीश को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा सङ्ग्रस्ट वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से बो भी पूर्वतर हो, पार्युट्टी का अधिकरण के न्यायिक सदस्य के कर भे नियक्षत करती है।

[फा. सं. 17(4)/2011-पीएल/एनजीटी]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2012

S.O. 1018(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice M. Chockalingam, former Judge of High Court of Madia sub-Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of five years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever, is earlied.

[F. No. 17(4)/2011-PL/NGT] SURJIT SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

का.आ. 1019(अ).— कंन्द्रीय सत्कार, राष्ट्रीय इंतित अधिकरण अधिनयम. 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पतित धारी ते के उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. न्यायमूर्ति श्री असित तालुकरार, कलकता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को तारीख 18 अप्रैल, 2012 (पूर्वाह्म) से पांच वर्ष को अवधि के लिए या उनके द्वारा सङ्कर वर्ष को आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय इंतिर अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियवस्त करती हैं।

[फा. सं. 17(4)/2011-पीएल/एनजीटी]

सुरजीत सिंह, संयुक्त अचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2012

S.O. 1019(E)—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Amit Talukdar, former Judge of Calcutta High Court, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the 18th April, 2012 (forenoon) for a period of five years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever, is earlier.

[F. No. 17(4)/2011-PL/NGT]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

1631 GI/2012